प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 09 सितम्बर, 2021**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4401-119-03-0302-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र मद में धनराशि रु0-0.50 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में**

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-56/बजट/2021-22, दिनांक-03.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण योजनान्तर्गत निम्न तालिका में वर्णित मशीने/संयंत्र क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0-0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं -

क्र.सं.	मशीन का विवरण	मेक एवं मॉडल का नाम	संख्या	संभावित व्यय की धनराशि रू0	अभ्युक्ति
1	Lawn Mower	GYAN 316	01 अदद	31000.00	राजभवन उद्यान के लानों की कटाई हेतु। (जेम पोर्टल से)
2	(A) Polishing Machine (B) Spare Parts	BOSCH GSB 500W 12RE	01 अदद	11970.00 1161.00	मुख्य भवन में लगे पोर्सलेन व ब्रास प्लान्टर की पालीशिंग हेतु। (जेम पोर्टल से) पालीशिंग हेतु आवश्यक सामग्री।
3	Drill Machine	BOSCH GSB 500W 10RE	01 अदद	4840.00	राजभवन उद्यान में विभिन्न प्रकार के यंत्रों के मरम्मत एवं रख-रखाव सम्बन्धित कार्य हेतु।
		योग-		50000.00	

(1) प्रश्नगत स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1- 375-दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों/प्रकिया के अधीन होगी।

(2) उपकरणों आदि का क्रय मूल्य जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम होगा, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-02 के संगत शासनादेश में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-02 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उपकरणों आदि हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरण आदि किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से क्रय न किया गया हो अर्थात इसकी द्विरावृत्ति न हो।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4401-119-03-0302-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1- 375-दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

<u>संख्या-46/2021-1722(1)/58-2021 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) अधीक्षक, राजभवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in